



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ-226001.
CIN:U32201UP1999SGC024928.

संख्या-41-अधि0प्रब0-03/पाकालि/2021-4(65)ई0एम0-03/1986

दिनांक: 06 जनवरी, 2021

स्पीड-पोस्ट

श्री ज्ञानेन्द्र यादव,
सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता,
विला सं0-ए-27, मालाबार, एल्डेको मैन्शनज, जवाहरपुरम,
न्यू शिवली रोड, कल्यानपुर, कानपुर-208017. (मो0नं0-9140674208)

अनुस्मारक-2

विषय:- अवशेष दाण्डिक किराया रु0-41,217.00 जमा किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के पत्र सं0-1526-अधि0प्रब0-03/पाकालि/2020-4(65)ई0एम0-03/1986, दिनांक 11.11.2020 एवं स्मरण पत्र सं0-1638-अधि0प्रब0-03/पाकालि/2020-4(65)ई0एम0-03/1986, दिनांक 05.12.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा आपको अवगत कराया गया था कि मा0 उ0प्र0 राज्य लोक सेवा अधिकरण में आपके द्वारा योजित अवमानना याचिका संख्या-227/2018 (श्री ज्ञानेन्द्र यादव बनाम श्रीमती अपर्णा यू0, तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड) में पारित निर्णय दिनांक 29.11.2019 के अनुपालन में, आपके द्वारा विभागीय आवास का अवैधानिक अध्यासन रखने एवं रिक्त नहीं किये जाने के कारण, कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-542-अधि0प्रब0-03/पाकालि/2020-4(65) ई0एम0-03/1986, दिनांक 21.03.2020 द्वारा तत्काल प्रभाव से, आपकी पेंशन का भुगतान रोक दिया गया था।

अधिशाली अभियन्ता, विद्युत 400 के0वी0 उपसंस्थान खण्ड, पनकी, कानपुर के पत्र सं0-607/वि0400 के0वी0 उ0सं0ख0, दिनांक 26.10.2020, (छायाप्रति संलग्न) द्वारा कारपोरेशन के संज्ञान में लाया गया है कि आपने विभागीय आवास सं0-ई-117, आफीसर्स कालोनी, पनकी, कानपुर को दिनांक 13.10.2020 को रिक्त कर दिया है तथा दिनांक 13.10.2020 तक कुल दाण्डिक किराया रु0-18,90,077.41 बनता है, जिसमें से दिनांक 30.04.2019 तक के रु0-16,96,722.58 सेवानैवृत्तिक लाभ से समायोजित कर लिए जाने के उपरान्त रु0-1,93,355.00 अवशेष हैं। इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया गया है कि कारपोरेशन के निर्देशानुसार दाण्डिक किराये की वसूली खण्ड द्वारा रु0-3,950.00 प्रतिमाह की दर से 39 किश्तों में रु0-1,52,138.00 की प्रत्याप्ति पूर्ण कर ली गयी थी, इसलिए अवशेष रु0-41,217.00 कार्यालय, अधिशाली अभियन्ता, विद्युत 400 के0वी0 उपसंस्थान खण्ड, पनकी, कानपुर में अविलम्ब जमा कर, मूल रसीद की छाया प्रति, उपसंस्थान खण्ड से सत्यापित कराते हुए, अधिशाली प्रबन्ध अनुभाग-03 (कक्ष सं0-621), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ में अतिशीघ्र उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी, जिसकी सूचना आपके स्तर से अद्यतन प्रतीक्षित है।

अतः मुझे आपसे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि अवमानना याचिका संख्या-227/2018 में मा0 अधिकरण के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 08.01.2021 नियत होने के कारण, विभागीय आवास का अवशेष दाण्डिक किराया रु0-41,217.00 (रु0-इकतालीस हजार दो सौ सत्रह मात्र) उक्तानुसार जमा कर मूल रसीद की सत्यापित

छाया प्रति, अधिशासी प्रबन्ध अनुभाग-03 (कक्ष सं0-621), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ में अतिशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे आपकी रोकी गयी पेंशन के भुगतान की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जा सके।

भवदीय,

(हिमांशु वाष्णीय)
उप सचिव (अ0प्र0-03)

संख्या-41(1)-अधि0प्रब0-03/पाकालि/2021- दिनांक: 05 जनवरी, 2021.

स्पीड-पोस्ट

प्रतिलिपि: श्री मोहन अग्रवाल, अधिवक्ता, 5/89, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 को मा0 अधिकरण की अवमानना याचिका संख्या-227/2018 श्री ज्ञानेन्द्र यादव बनाम श्रीमती अपर्णा यू0 के सम्बन्ध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(हिमांशु वाष्णीय)

उप सचिव (अ0प्र0-03)

Link

✓ प्रति:- कट फाईल/कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।